



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 8148 सन् 2026

दुर्गेश शर्मा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता

: अमृता सिंह

प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अमृता सिंह, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 30.11.2025 का समन आदेश, जो माननीय सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/एफ.टी.सी.-III, बलिया द्वारा पारित किया गया है, तथा परिवाद वाद संख्या 6836 सन् 2025 (आशुतोष कुमार सिंह बनाम दुर्गेश शर्मा), जो धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत, थाना पकड़ी, जनपद बलिया से संबंधित है एवं माननीय सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/एफ.टी.सी.-III, बलिया की न्यायालय में लंबित है, की समस्त कार्यवाही निरस्त की जाए।

3. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों के मध्य धन संबंधी विवाद है और विपक्षी संख्या 2 द्वारा आवेदक के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद दाखिल किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि धनराशि के भुगतान को लेकर विवाद विद्यमान है, अतः आपसी समझौते के माध्यम से विवाद के सौहार्दपूर्ण निस्तारण की पर्याप्त संभावना है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दामोदर एस. प्रभु बनाम सय्यद बाबालाल एच., 2010 (5) एस.सी.सी. 663 पर भरोसा किया है। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 17, 18 एवं 19 निम्नानुसार उद्धृत किए जा रहे हैं:-

"17. हाल ही में प्रकाशित एक टीका (Commentary) में धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, धारा 138 पर विधि सुधार की दिशा में कुछ विचार, परक्राम्य लिखत अधिनियम—मामलों की बढ़ती संख्या से निपटना (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्रा. लि., 2009) पृष्ठ 5]:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“...अन्य प्रकार के अपराधों के विपरीत, यहाँ (जहाँ तक परिवादी का संबंध है) दंड देना प्रतिशोध प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह अधिकतर धन की वसूली सुनिश्चित करने का माध्यम है। परिवादी का मुख्य हित धन की वसूली में होता है, न कि चेक जारीकर्ता को जेल भेजने में। कारावास की धमकी केवल वसूली सुनिश्चित करने का एक उपाय है। ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध, जो कारावास भोगने को तैयार हो, चेक के धारक के पास अपेक्षाकृत बहुत सीमित उपचार उपलब्ध होता है।”

यदि हम उन परिवादों की संख्या का परीक्षण करें जो अंतिम निर्णय से पूर्व ‘समझौता’ या ‘निस्तारित’ हो गए, तथा दूसरी ओर उन मामलों का जो निर्णय एवं दोषसिद्धि तक पहुँचे, तो हम पाएंगे कि अधिकांश मामले समझौते के माध्यम से निस्तारित हो गए और केवल अत्यंत अल्प संख्या ही निर्णय तक पहुँची और आगे बढ़ी।

18. यह पूर्णतः स्पष्ट है कि चेक अनादरण के अपराध के संबंध में उपचार के दण्डात्मक पहलू की अपेक्षा प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति संबंधी) पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। माननीय महान्यायवादी द्वारा व्यक्त की गई इस आशंका को भी कुछ समर्थन प्राप्त है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामलों का वास्तव में समापन या निस्तारण समझौते अथवा समन्वय (compounding) के माध्यम से किया जा रहा है, यद्यपि यह सामान्यतः वाद-विवाद की बाद की अवस्थाओं में होता है, जिसके कारण न्याय प्रदान करने में अनावश्यक विलंब उत्पन्न होता है। यहाँ समस्या पक्षकारों की उस प्रवृत्ति में निहित है जिसमें वे अपने विवाद के समाधान हेतु समन्वय का विकल्प अत्यंत विलंब से चुनते हैं।

19. जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, विद्वान महान्यायवादी का यह तर्क है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, पक्षकार शिकायतों पर मजिस्ट्रेटों द्वारा संज्ञान लेने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के तुरंत बाद शमन (compounding) का विकल्प चुनने के बजाय, इसे अंतिम उपाय के रूप में चुन रहे हैं। इस तरह के व्यवहार का एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि आरोपी व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों से गुजरने का जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं और समझौते का रास्ता केवल तभी चुनते हैं जब कोई अन्य रास्ता शेष नहीं रह जाता है। यद्यपि वादकारियों के दृष्टिकोण से ऐसा व्यवहार तर्कसंगत माना जा सकता है, परंतु कठोर तथ्य यह है कि शमन का विकल्प चुनने में होने वाला अत्यधिक विलंब विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों के समक्ष लंबित बकाया मामलों (arrears) में वृद्धि करता है। यदि अभियुक्त मुकदमेबाजी के बाद के चरण में अपराध के शमन (compounding) के माध्यम से समझौता या समाधान करने के लिए तैयार है, तो यह सामान्यतः शिकायतकर्ता के मामले के गुण-दोष (merit) का संकेत देता है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा कि पक्षकार मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों के दौरान ही शमन का विकल्प चुनें। यदि, हालांकि, अभियुक्त के पास अन्य आधारों के साथ-साथ भूल, कूटरचना या जबरदस्ती (coercion) जैसा कोई वैध बचाव (valid defence) उपलब्ध है, तो मामले को निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से लड़ा जा सकता है।

5. जैसा कि अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है, यह निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त आज से एक माह की अवधि के भीतर संबंधित अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हो सकता है और समझौते के माध्यम से अपराध के शमन (compounding) हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा चेक की राशि का 10% जमा कर सकता है। ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित न्यायालय इस संबंध में कानून के अनुसार उचित कदम उठा सकता है और अभियुक्त को इस दिशा में प्रयास करने के लिए आगे अवसर प्रदान करेगा, जो आज से अधिकतम चार महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। तत्पश्चात,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय आज से पांच महीने की अवधि के भीतर विशेष रूप से दामोदर एस. प्रभु (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आदेश पारित करेगा।

6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के शमन (compounding) हेतु विचारण न्यायालय (trial court) के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होना और विचारण (trial) का सामना करना आवश्यक है तथा न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा अनुमत सभी आवश्यक कदम उठाने और उपाय करने हेतु स्वतंत्र होगा।

7. उपरोक्त पांच महीने की अवधि में या आवेदन के आलोक में निर्णय दिए जाने तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के विरुद्ध कोई दंडात्मक उपाय (coercive measures) नहीं अपनाए जाएंगे।

8. यह और स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उस अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से इस न्यायालय में बी.एन.एस.एस. (BNSS) की धारा 528 के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

मार्च 26, 2026

नितिन वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।